न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2017 (उदयपुर आर्डर)

श्री नाथू पटेल (डांगी) पिता स्व. श्री कानाजी पटेल निवासी चावण्ड तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. वृहत कृषि बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लिमिटेड चावण्ड, तहसील सराड़ा जिला उदयपुर जरिये व्यवस्थापक वृहत कृषि बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लिमिटेड चावण्ड तहसील सराड़ा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री झमक लाल जैन भलावत पिता श्री मोतीलाल जी जैन निवासी चावण्ड अध्यक्ष, वृहत कृषि बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लिमिटेड चावण्ड

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर उदयपुर दि0 08–10–2012
प्रकरण क्रमांक प.12/3(548)राज/आव./12/
2631

उपस्थित :–1– श्री पी.सी. पानेरी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2

——————/——————

आदेश **दिनांक 14–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट प्रार्थी यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर उदयपुर वृहत कृषि बहुउद्धेशीय सहकारी समिति लिमिटेड चावण्ड दिनांक 08–10–2012 को बीज गोदाम हेतु निशुल्क आवंटन के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25–11–2016 को पेश की है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश किया। उसे आवंटन की जानकारी माह अगस्त, 2016 में निर्माण सामग्री विपक्षीगण द्वारा डालने से उक्त प्रकरण की जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त आवेदन पेश किया जाना अंकित किया तथा शपथ पत्र भी दिया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि उक्त अपीलाधीन आवंटन के क्रम में दिनांक 21–3–2015 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सरपंच लेम्प्स व्यवस्था पर व पुलिस की उपस्थिति में जिसमें अपीलान्ट भी उपस्थित था, पटवारी द्वारा पर्चा मौका मुर्तिब कर सीमाज्ञान कराकर कब्जा सिपुर्द किया

है। उक्त पर्चा मौका जो कि अपीलान्ट स्वयं ने पेश किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को उक्त आवंटन की जानकारी 21–3–2015 से ही है तथा सीमाज्ञान एवं कब्जा सिपुर्दगी के समय वह स्वयं उपस्थित है, तो अब उसका यह कहना कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अगस्त, 2016 में हुई, यह पूर्णतया मिथ्या एवं असत्य है। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा मियाद कण्डोन किये जाने के लिए जो तथ्य दिये है, वे मिथ्या व असत्य तथा भ्रामक एवं रेकर्ड से परे होकर मयाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित नहीं है, बल्कि रेकार्ड के बरूए ही गलत है। अतएव अपील अपीलान्ट स्पष्टतया बरूए मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा बाद बहस दिनांक 12–02–2018 को मूल दस्तावेज पेश किये जो शामिल फाईल है। हालांकि अपील बरूए मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु प्रकरण में जहां तक अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा–96 जाब्ता दीवानी के आवेदन का प्रश्न है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटित भूमि को हल्का आबादी भूमि होने व त्रुटिपूर्ण आवंटन कर दिये जाने में उसका हित निहित होना वर्णित किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा आराजी नंबर 1014 आबादी की होना बताया है, परन्तु वर्तमान आवंटित आराजी नंबर 1967 है तथा हाल आराजी नंबर 1967 साबिक आराजी नंबर 1014 से बनी हो, इस हेतु बहस के बाद मिलान क्षैत्रफल पेश किया है जिसमें साबिक आराजी नंबर 1014 से वर्तमान आराजी नंबर 1964, 1967, 2249, 2250, 2251 बनना बताया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पूर्व आराजी नंबर 1014 की पूर्ण भूमि आबादी की थी तथा उससे ही हाल आराजी नंबर 1967 बना हो। हाल आराजी नंबर 1967 अपीलान्ट द्वारा पेशशुदा जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 अनुसार बिलानाम मगरी है, आबादी नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट को उक्त आवंटन से आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतएव दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन भी स्वीकृत योग्य नहीं होकर खारिज किया जाता है।

समग्र रूप से अपील अपीलान्ट बरूए मयाद व दफा–96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज हो जाने के कारण खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8–10–2012 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर